अव्यवस्था | बिगड़े ट्रैफिक की सबसे बड़ी वजह बनते जा रहे ई-रिक्शा

प्रशासन के रिकॉर्ड में दस हजार ई-रिक्शे..?

फाईल फोटो

नवभारत, जबलपुर। शहर के भीतर बढ़ती ई रिक्शाओं की संख्या अब प्रशासन के लिए चुनौती बनती जा रही है। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, शहर में कुल 10,354 ई-रिक्शा पंजीकृत हैं, लेकिन इनकी निगरानी और फिटनेस को लेकर कई खामियां सामने आ रही हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के अनुसार, जो ई-रिक्शा फिटनेस मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे, उनका पंजीयन निरस्त किया जाएगा और इसकी सूचना सीधे आरटीओ कार्यालय को भेजी जाएगी। हालांकि, इस प्रक्रिया को लेकर न तो कोई स्पष्ट टाइमलाइन तय की गई है और न ही जांच व्यवस्था को लेकर ठोस तैयारी नजर आ रही है। इसके साथ ही परिवहन विभाग द्वारा बताया गया कि ई-रिक्शा की समय सीमा केवल 2 वर्ष तक करने की तैयारी चल रही है। अगर यह लागू होता है, तो हजारों चालकों की रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ सकता है।

हो गई है आम बात

सड़कों पर बड़ी संख्या में ऐसे ई-रिक्शा देखे जा सकते हैं, जो बिना उचित फिटनेस, ओवरलोडिंग और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हुए दौड़ रहे हैं। इससे ट्रैफिक जाम, दुर्घटनाएं और अव्यवस्थित यातायात आम बात हो गई है। कई प्रमुख चौराहों और बाजार क्षेत्रों में ई-रिक्शा की मनमाना पार्किंग स्थिति को और खराब कर रही है। ई-रिक्शा जहां एक ओर हजारों लोगों के लिए रोजगार का साधन हैं, वहीं दूसरी ओर शहर की यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की नई योजनाएं क्या वाकई सुधार लाएगी या फिर यह सिर्फ चालकों पर एक और दबाव बनकर रह जाएगी यह आने वाला समय ही बताएगा।

इनका कहना है

मुझे ई-रिक्शा लिए 15-20 दिन हो गए है, इसके पहले छोटा वाला ई-रिक्शा था। पंजीयन कंपनी द्वारा करवा कर दिया गया है।
आकाश दुबे
ई-रिक्शा चालक

मेरा ई-रिक्शा को सात आठ साल हो गए है। पंजीयन एक साल के बाद दुबारा से नवीकृत करवाना पड़ता है।
पुष्पेंद्र केवट
ई-रिक्शा चालक

हमारे द्वारा एक नई योजना बनाई जा रही है दो साल या उससे अधिक के ई-रिक्शा की समय सीमा तय की जाएगी।
रिंकू शर्मा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी

मकानों की गणना पूरी

जबलपुर। जनगणना 2027 के एक मई से प्रारंभ हुये प्रथम चरण के अंतर्गत जिले के आठ गणना ब्लॉक में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष सभी गणना ब्लॉक में यह कार्य प्रगति पर है। जिले में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य समय-सीमा में पूरा कर लिया जायेगा। जिला जनगणना अधिकारी संयुक्त कलेक्टर ऋषभ जैन ने यह जानकारी देते हुये बताया कि जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मध्यप्रदेश में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 30 मई तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है। जनगणना 2027 के दूसरे चरण में जनगणना फरवरी माह में होगी। जनगणना के लिए संदर्भ तारीख एक मार्च 2027 की रात होगी। जनगणना के आंकड़े इसी तारीख की स्थिति के अनुसार दर्ज होंगे। जिला जनगणना अधिकारी ने बताया कि तय समय सारिणी के मुताबिक जिले में दस मई तक 40 प्रतिशत, 15 मई 70 प्रतिशत तथा 20 मई तक शत-प्रतिशत मकानों का सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य पूरा किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

3300 चालान काटे, 175 के लायसेंस निलंबन की तैयारी

जीवन अनमोल, सुरक्षित रहने हेमलेट है जरूरी, कार्रवाई के साथ जागरूकता फैला रही पुलिस

जबलपुर। जीवन अनमोल है, सफर में कितनी भी हो कम दूरी, मगर हेलमेट लगाना जरूरी है। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट एवं चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य धारण करें। यातायात नियमों का पालन करें,सुरक्षित रहें। ये अपील यातायात पुलिस नागरिकों से कर रही है। इसके साथ ही नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। 26 अप्रैल से 5 मई तक बिना हेलमेट के विरूद्व लगभग 3300 से अधिक चालान किये जा चुके है। इसी के साथ 175 से अधिक वाहन चालको के ड्रायविंग लायसेंस निलंबन की कार्यवाही के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जबलपुर को प्रकरण भेजे गये है।

दरअसल सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण यातायात नियमों की अनदेखी और हेलमेट का उपयोग न करना है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत मृतकों मे दोपहिया वाहन चालक शामिल होते हैं, जो हेलमेट नही पहनते हैं। इसे गंभीरता से लेते हुये पुलिस विभाग ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट धारण करने की अनिवार्यता को लेकर 26 अप्रैल से 10 मई तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान यातायात पुलिस नियमों तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने के साथ उन्हें जागरूक भी कर रही है। पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात सुश्री अंजना तिवारी के निर्देशन में उप पुलिस अधीक्षक (मालवीय चौक, गढा, घमापुर) एवं यातायात के तीनों थाना प्रभारियों द्वारा टीम बनाकर हेलमेट जागरूकता अभियान कार्यक्रम संचालित किये गये है। उप पुलिस अधीक्षक यातायात मालवीय चौक संतोष कुमार शुक्ला ,उप पुलिस अधीक्षक यातायात गढ़ा एवं यातायात स्टॉफके द्वारा वाहन विक्रेताओं के साथ चर्चा कर आवश्यक निर्देश भी दिए।

प्रोत्साहन, समझईश के साथ कार्रवाई

चौराहों, तिराहो, मुख्य मार्गो पर ऐसे वाहन चालक जो दो पहिया वाहन हेलमेट पहनकर चलाते पाये गये उन्हे यातायात पुलिस द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप यातायात जागरूकता वाले बैग, कप, पम्पलेट एवं परीक्षा पेड बांटे गये। साथ ही ऐसे वाहन चालक जो बिना हेलमेट धारण कर दो पहिया वाहन चलाते पाये गये उन्हे हेलमेट पहनने की समझाईश दी गई। हेलमेट पहनने के प्रति जागरूकता वाले बैनर लगाये गये है। इसके साथ ही चालानी कार्रवाई भी की जा रही है।

विधि छात्र-छात्राओं का ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण प्रारंभ

सालसा द्वारा आयोजित 21 दिवसीय इंटर्नशिप के दौरान दी जायेगी कानूनी जानकारियां

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में तथा न्यायमूर्ति विवेक रूसिया कार्यपालक अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल मार्गदर्शन में 21 दिवसीय ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रथम बैच का शुभारंभ मंगलवार 05 मई 2026 को किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश एवं देश के विभिन्न प्रतिष्ठित विधि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राएं भाग ले रहे हैं।

इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव कु. सुमन श्रीवास्तव ने इंटर्नशिप कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से विधि के छात्र विधिक सहायता से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि यह इंटर्नशिप विधि के व्यावहारिक पक्षों को सीखने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उप सचिव अनिरुद्ध जैन जिला विधिक सहायता अधिकारी, प्रदीप सिंह ठाकुर तथा दिग्विजय सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। उन्होंने इंटरशिप कर रहे छात्र-छात्राओं को विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं एवं विधिक सेवा संस्थानों के कार्यप्रणाली के बारे में मार्गदर्शन दिया। साथ ही विधिक सेवाओं से संबंधित आईईसी सामग्री एवं साहित्य भी प्रदान किया गया। इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत विधि के छात्रों को मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर, मजिस्ट्रेट एवं सत्र न्यायालय, वृद्धाश्रम, बाल कल्याण समिति, बाल गृह, किशोर न्याय बोर्ड, ऑब्जर्वेशन होम, एनएससीबी मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग, मध्यस्थता केंद्र ले जाया जाकर संबंधित संस्थाओं की प्रक्रियाओं से अवगत कराया जाएगा।

ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक सवारों को कुचला एक युवक की मौत, दूसरा घायल

जबलपुर। तिलवारा थाना अंतर्गत जोधपुर पड़ाव के पास चरगवां मोड़ के समीप मंगलवार रात्रि एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार जोधपुर पड़ाव के पास मंगलवार रात्रि 8 बजे एक मोटर सायकिल में दो युवक बैठक कर कहीं जा रहे थे वे जैसे ही चरगवां मोड़ पर पहुंचे तभी ट्रैक्टर-ट्रॉली का चालक वाहन को लापरवाही चलाते हुए लाया और मोड़ के पास चालक नियंत्रण खो बैठा, जिससे बाइक सवार सीधे उसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई। एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल था जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया । तिलवारा थाना प्रभारी बृजेश मिश्रा ने बताया कि मृतक और घायल दोनों युवकों की उम्र लगभग 20 से 30 वर्ष के बीच है। पुलिस ने घायल युवक को मेडिकल अस्पताल भिजवाया है, जहाँ उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घायल फिलहाल बयान देने की स्थिति में नहीं है, जिसके कारण अभी तक दोनों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य दस्तावेजों के आधार पर मृतकों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। वहीं, दुर्घटना के बाद चालक ट्रैक्टर फरार हो गया है जिसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है ।

आंधी-तूफान के खतरे को देखते हुए निगम मुस्तैद

होर्डिंग एजेंसियों को दिए गए सख्त निर्देश

नवभारत,जबलपुर। नगर निगम प्रशासन शहरवासियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सजग है। शासन द्वारा जारी येलो अलर्ट और संभावित आंधी-तूफान की आशंका के मद्देनजर मंगलवार को निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। निगमायुक्त के निर्देश पर अपर आयुक्त अंजू सिंह ठाकुर ने शहर की पंजीकृत होर्डिंग एजेंसियों को स्पष्ट संदेश दिया गया कि व्यापार से पहले जन सुरक्षा उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।

अपर आयुक्त श्रीमती सिंह ने सभी एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए कि वे अपने द्वारा स्थापित विज्ञापनों और लोहे के स्ट्रक्चर्स का तत्काल और नियमित तकनीकी निरीक्षण सुनिश्चित करें। पुराने या जर्जर हो चुके स्ट्रक्चर्स को समय रहते दुरुस्त करने या हटाने की हिदायत दी गई है ताकि तेज हवाओं के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उपयंत्री अंकित चैधरी सहित शहर की प्रमुख एजेंसियों के प्रतिनिधि सुरेश असावा, राजदेव शर्मा, हर्षित खरे, उमेश विग, वीरेन्द्र पचैरी, मुन्ना पटेल, मोहित श्रीवास्तव और दिलीप चैधरी आदि उपस्थित रहे।

संचालकों ने पहल का किया स्वागत

बैठक में उपस्थित विज्ञापन एजेंसियों के संचालकों ने भी प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया और सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस सकारात्मक समन्वय से यह सुनिश्चित होगा कि शहर की सुंदरता और विज्ञापन के साथ-साथ राहगीरों की सुरक्षा में कोई चूक न हो।

एक नजर में

एसपी ने सुनीं शिकायतें

जबलपुर । जन सुनवाई में शिकायतकर्ताओं की पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय ने शिकायतें सुनी। साथ ही सम्बंधित अधिकारियों को त्वरित वैधानिक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। जन सुनवाई मे शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के शिकायतकर्ता पुलिस कार्यालय में आये थे, अधिकांश शिकायतें पति-पत्नि, परिवारिक एवं जमीन सम्बंधी विवाद, मारपीट तथा सायबर अपराध से सम्बंधित 75 शिकायतें थी। इस दौरान एएसपी ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा, एएसपी यातायात सुश्री अंजना तिवारी, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली रीतेश कुमार शिव उपस्थित रहे।

शयन कक्ष में बैठा था चार फीट लंबा सांप

जबलपुर। संजीवनी थानांतर्गत आयुषी पाम सिटी गंगानगर गढ़ा निवासी राम सिंह के घर में रात्रि साढ़े आठ बजे एक चार फीट लंबा सांप शयन कक्ष में प्रवेश कर गया जिसके कारण वहां अफरातफरी मच गई। इसकी सूचना राम सिंह ने सर्प विशेषज्ञ गजेन्द्र दुबे को दी जिन्होंने मौके पर पहुंचकर रैस्क्यू करते हुए सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। पकड़ा गया सांप कील बैक चैकर्ट पन्हियल प्रजाति का है जो कि जहरीला नहीं होता।

11 फरार आरोपियों पर ईनाम घोषित

जबलपुर। लंबे समय से शहर व ग्रामीण अंचल के थानों से फरार चल रहे 11 आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने ईनाम घोषित कर दिया है। विदित हो कि रांझी थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट एक्ट के प्रकरण में प्रिंस नेल्सन पिता रिंकू उर्फबाबा 25 वर्ष, विकास नेल्सन उर्फ रिंकू उर्फ बाबा पिता जगदीश नेल्सन 50 वर्ष, अर्पित कुशवाहा पिता मुन्ना कुशवाह 22 वर्ष, तीनों निवासी ओमती पर दस हजार, माढ़ोताल थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में फरार दिलीप चौधरी पिता मोहनलाल चौधरी 28 वर्ष, राजा सोनकर पिता अर्जुन सोनकर 42 वर्ष दोनों निवासी सिधी कैंप हनुमानताल एवं विजय नगर थाने में धोखाधड़ी के प्रकरण में फरार सचिन श्रीवास्तव निवासी चेरीताल, बॉबी उर्फ फतेह सिंह पिता रधुवीर सिंह निवासी शांतिनगर पर चार-चार हजार, मझगवां थाने में दर्ज एक अन्य अपराध में सचित पटेल, कान्हा तिवारी, पुष्कार त्रिपाठी एवं माढोताल थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट में बबीता सोनकर निवासी ओमती की गिरफ्तारी पर तीन-तीन हजार रूपए का ईनाम घोषित किया गया है।

उपार्जन : 15432 किसानों से खरीदा गया 7 .91 लाख क्विंटल गेहूँ

जबलपुर। जिले में समर्थन मूल्य पर अभी तक 15 हजार 432 किसानों से 7 लाख 91 हजार 015 क्विंटल गेहूँ की खरीदी की जा चुकी है। जिले में गेहूँ का उपार्जन 70 खरीदी केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर गेहूँ का विक्रय करने जिले के 50 हजार 788 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया था। इनमें से अभी तक 36 हजार 804 किसानों द्वारा स्लॉट बुक कराये जा चुके हैं। प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक सीमा बोरसिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक 16 करोड़ 15 लाख 28 हजार 510 रूपये का भुगतान भी किसानों को किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि उपार्जन केन्द्रों के प्रभारी अधिकारियों को खरीदे गये गेहूं के परिवहन और भंडारण में गति लाने के निर्देश दिये गये हैं, ताकि किसानों को उनकी उपज का भुगतान शीघ्र किया जा सके।

निवेश, समस्याओं और एक्सपोर्ट प्लान पर हुआ मंथन

जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक

जबलपुर। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड, जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं निर्यात प्रोत्साहन समिति की बैठक में औद्योगिक विकास से जुड़े मुद्दों पर उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई इस बैठक में नवीन औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना, नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आबंटन, विभिन्न सेक्टर में निवेश की सम्भावनाओं, औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं, जिले के एक्सपोर्ट प्लान पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

कलेक्टर सिंह द्वारा गारमेंट क्लस्टर में शीघ्र ही डाइंग एवं वाशिंग प्लांट प्रारंभ करने के निर्देश बैठक में दिए। उन्होंने भटौली मे फर्नीचर क्लस्टर की स्थापना की प्रगति की समीक्षा की। लॉजिस्टिक पार्क, रिछाई औद्योगिक क्षेत्र मे बाउंड्री निर्माण, रिछाई औद्योगिक क्षेत्र मे फायर स्टेशन स्थापना, मोहनिया में अधोसंरचना विकास के कार्यो का ब्यौरा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में नई इकाईयों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन पर चर्चा की गई। इसके अलावा एमपीआईडीसी की गतिविधियों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य रूप से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्लान, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, प्रस्तावित नए ट्रेड की जानकारी व ट्रेड सिक्योरिटी पर भी आवश्यक चर्चा की गई। खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर की स्थापना हेतु उद्योगपतियों को प्रस्ताव देने हेतु प्रोत्साहित किया गया। एक्जीबीशन सेंटर के संचालन पर भी चर्चा हुई। बैठक मे एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक श्री अनिल कुमार राठौर द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों मे भूमि की उपलब्धता और नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की जानकारी का प्रस्तुतीकरण किया गया। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विनीत रजक ने एमएसएमई विभाग से संबंधित विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। बैठक मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक गहलोत, डॉ अर्पित शुक्ला प्राचार्य आईटीआई, सुजीत घोष सहायक निदेशक एमएसएमई भारत सरकार, निशांत मिश्रा प्रबंधक आई टी पार्क, श्रीमती नीलम अग्रवाल तथा उद्योग संघों की ओर से रवि गुप्ता, अशोक परयानी, पंकज महेश्वरी, श्रीमती भावना मादान , दीपक जैन, अनुराग जैन, विवेक मोहन पाठक, मुनिन्द्र मिश्रा, प्रवीण शर्मा उपस्थित रहे।

लंदन से गिफ्ट भेजने के नाम पर शिक्षिका से लाखों की ठगी, खुद को बताया पूर्व छात्र

जबलपुर। तिलवारा थाना अंतर्गत अवनी विहार निवासी एक स्कूल शिक्षिका को एक जालसाज ने खुद को पूर्व छात्र बताकर अपने जाल में फंसाया और कीमती गिफ्ट लंदन से भेजने के नाम पर उनसे 4,04,500 रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, अवनी विहार निवासी 31 वर्षीय सुश्री श्रुति सेन गुरुकुल स्कूल में शिक्षिका हैं, उनकी इंस्टाग्राम आईडी पर रवि शर्मा नाम के एक व्यक्ति का मैसेज आया। आरोपी ने बड़ी ही शालीनता से बात शुरू की और कहा, मैम, मैं आपको जानता हूँ, आपने मुझे पढ़ाया है। मैं अभी लंदन में रह रहा हूँ। शिक्षिका को अपनी बातों में उलझाकर आरोपी ने कहा कि वह अपनी मैम को सम्मान के तौर पर गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी सेट गिफ्ट करना चाहता है। जब शिक्षिका ने उपहार लेने से मना किया, तो आरोपी ने भावुक होकर कहा कि वह पार्सल भेज चुका है, बस उन्हें यूके का टैक्स क्लियर करना होगा। आरोपी ने टैक्स के नाम पर पहली बार 10,200 रुपये जमा करवाए। इसके बाद उसने अलग-अलग बहाने बनाकर और विभिन्न आईडी का उपयोग कर शिक्षिका से बार-बार पैसे ट्रांसफर कराए। शिक्षिका ने अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते से कुल 4,04,500 रुपये आरोपी के बताए खातों में भेज दिए। जब कोई पार्सल घर नहीं पहुँचा, तो शिक्षिका को संदेह हुआ। उन्होंने आरोपी के नंबर पर व्हाट्सएप कॉल किया, जहाँ आरोपी ने फिर से और पैसों की मांग की। तब शिक्षिका को समझ आया कि वह साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुकी हैं। पुलिस ने आरोपी रवि शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

फैक्ट्री मालिक पर एफआईआर दर्ज

सुरक्षा मानकों की अनदेखी बिना उपकरण काम कराया ऊंचाई से गिरा था श्रमिक

जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत औद्योगिक रिछाई में ईंट फैक्ट्री में शेड खोलने के दौरान एक मजदूर ऊंचाई से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस जांच में फैक्ट्री मालिक द्वारा सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी पाई गई है, बिना सुरक्षा उपकरण के काम कराया। जांच के बाद पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक लोकेश सोलंकी पिता भीकम सिंह 30 वर्ष निवासी संजय नगर का रिछाई स्थित तरंग श्रीवास्तव की ईट बनाने की फैक्ट्री में काम करता था । 18 जनवरी 2026 को वे काम करते समय ऊंचाई से गिर गया था। जिसे उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जा गया था । जहां से उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। प्रत्यक्षदर्शियों भागसिंह राजपूत, केतन और कन्हैया से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए गए ।

पुलिस ने जब रिछाई स्थित तरंग श्रीवास्तव की ईंट फैक्ट्री का निरीक्षण किया, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच अधिकारी ने पाया कि पीड़ित लोकेश फैक्ट्री में ऊंचाई पर शेड खोलने का जोखिम भरा काम कर रहा था। नियमों के विपरीत, फैक्ट्री मालिक द्वारा मौके पर सुरक्षा का एक भी साधन (जैसे सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट या नेट) उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसी लापरवाही के कारण लोकेश का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे जमीन पर आ गिरा, जिससे उसकी कमर और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। फैक्ट्री संचालक की लापरवाही सामने आई । जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया ।

जंगल राज | आईटीआई चुंगीनाका में आवारा जानवरों का डेरा

सड़कें हो रहीं सकरीं, मवेशियों का है कब्जा

जबलपुर, नवभारत। जबलपुर से कटंगी और पाटन जाने वाले प्रमुख मार्ग के चुंगीनाका आई टी आई मोड़ पर आए दिन शाम को भारी ट्रैफिक के चलते जाम बनता है। इसके पीछे का कारण मुख्य मार्ग सहित गली-मोहल्लों में आवारा जानवरों का जमावड़ा है जिससे अब लोग परेशान हो चुके हैं। रोजाना यहां से होकर गुजरने वाले छोटे बच्चों के साथ भी घटना होने की अधिक संभावना बनी रहती है। मालूम हो कि यहां की दोनो रोड पर पुरानी और नई कॉलोनियों के रहवासी बड़ी संख्या में वाहनों से मुख्य शहर की ओर आते जाते हैं। जिससे इस तिराहे पर ट्रैफिक का बेहद दबाव बना रहता है। वही पुलिस की विशेष व्यवस्था नहीं रहने से भी जाम लगा रहता है। आज इसी ट्रैफिक दबाव वाले स्थल स्थल पर भैंसों का लंबा काफिला आई टी आई से आरटीओ की ओर टहलता हुआ देखा गया। वही पुलिस व्यवस्था नहीं रहने के कारण जानवरों के काफिले के कारण राहगीरों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

पूरे शहर का यही हाल

सिर्फ आईटीआई तिराहा ही नहीं बल्कि शहर के अन्य इलाकों के चौक चौराहे से लेकर गली मोहल्ले तक में मवेशियों का जमघट लगा रहता है। यह हालात पिछले कई महीनों से बने हैं। दिन हो या रात कई रास्तों पर लोगों का दो और चार पहिया वाहन चलाना दूभर हो गया। आवारा मवेशियों को पकड़ने व बाहर भेजने के लिए न तो नगरीय प्रशासन ध्यान दे रहा है, और न ही नगर निगम। जबकि मवेशियों को पकड़ने के लिए कई बार क्षेत्रीय जनता ने जनप्रतनिधियों के समक्ष भी एक बेहतरीन प्लान बनाने का प्रस्ताव भी रखा है। लेकिन अफसोस अभी तक इस दिशा में कोई भी वाजिब कदम नहीं उठाया गया है।